कार्यालय–वनसंरक्षक/फील्ड डायरेक्टर पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत।
पत्रॉक 1819 /14–1, पीलीभीत, दिनांक 22/06/2019

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0 प्र0, लखनऊ।

विषय : इण्डियन आयल कारपोरेशन लि0 द्वारा बीसलपुर–बिलसण्डा मार्ग सं0–62 पी0ए0 के चैनेज 14.346 से 14.381 बॉयी पटरी पर ग्राम चरखौला, तहसील–बीसलपुर, जिला–पीलीभीत में स्थित खसरा /गाटा सं0–568 में रिटेल आउटलेट /पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु संरक्षित वन भूमि 0.114123 हे0 के गैर वानिकी प्रयोग व 01 वृक्ष की पातन अनुमति के सम्बन्ध में (प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Other/31275/2018)

सन्दर्भ : आपका पत्रॉक–2391/11–सी– FP/UP/Other/31275/2018 दिनॉक 18.06.2019

महोदय,

सानुरोध अवगत कराना है कि उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में उक्त प्रस्ताव का पुनः परीक्षण कर लिया गया है। प्रस्ताव में समस्त अभिलेख लगे हुये है।

उक्त प्रस्ताव को आपके कार्यालय में विलम्ब से भेजने के कम में प्रभागीय निदेशक, वन एंव वन्यजीव प्रभाग,पीलीभीत को इस कार्यालय के पत्रॉक–1796/29–1 दिनॉक 19.06.2019 के द्वारा स्पष्टीकरण मॉगा गया है।

अतः विषयक प्रस्ताव की 03 मूल प्रतियॉ पुनः संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(एच. राजमोहन)
वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर,
पीलीभीत टाइगर रिजर्व,पीलीभीत।

पत्रॉक 1819 /तद्दिनॉकित।

प्रतिलिपि–प्रभागीय निदेशक, वन एंव वन्यजीव प्रभाग,पीलीभीत को विषयक प्रस्ताव की 03 मूल प्रतियॉ संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रस्ताव यदि आन लाइन नही है, तो पुनः आन लाइन कराते हुये प्रस्ताव की 03 मूल प्रतियॉ मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी, उ0 प्र0, लखनऊ को विशेष पत्र वाहक के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करें ।

संलग्नकः–यथोपरि।

(एच. राजमोहन)
वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर,
पीलीभीत टाइगर रिजर्व,पीलीभीत।